

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.06.2025

थाना अलीनगर चन्दौली

- अलीनगर पुलिस टीम व आरपीएफ की लगातार की जा रही संयुक्त कार्यवाही के तीसरे दिन 06 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार।
- गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की कुल 42.340 लीटर बीयर/अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 70 हजार रुपये) बरामद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली आदित्य लांगे तथा जेथीन बी.राज वरीय कमाण्डेट, रेलवे सुरक्षा बल, डीडीयू के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर (आइपीएस) अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में थाना अलीनगर व आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में ट्रेन की चेन पुलिंग कर शराब तस्करी करने वाले 06 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, तस्करों के कब्जे से कुल 42.340 लीटर बीयर/अंग्रेजी शराब बरामद की गई है जिसकी अनुमानित कीमत 70 हजार रुपये है।

■ दिनांक 06.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर व आरपीएफ सीपीडीएस के उ0नि0 निशान्त कुमार की संयुक्त टीम द्वारा अभियान के दौरान मानसरोवर पोखरा थानाक्षेत्र अलीनगर के पास से घेराबंदी कर कुल 06 तस्कारों को पकड़ लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 बोतल मैकडावल प्रत्येक 375 एमएल, 39 बोतल मैकडावल प्रत्येक 180एमएल, 25 पीस आफ्टरडार्क ब्लू प्रत्येक 180एमएल, 17 बोतल रायल ग्रीन प्रत्येक 375 एमएल, 06 बोतल 8 पीएम. प्रत्येक 750 एमएल, 14 केन किंगफिशर बीयर प्रत्येक 500 एमएल, 05 एन्ड्राइड मोबाइल (कुल मात्रा 42.340 लीटर बीयर/अंग्रेजी शराब) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान क्रमशः

1. सोनू कुमार पुत्र स्व० नरेन्द कन्नौजिया निवासी अलखसिन्हा मार्ग बंगला नं0-6 दानापुर कैण्ट थाना दानापुर जनपद पटना बिहार की तलाशी में 200 रुपये नगद व 01 अदद मोटोरोला मोबाइल तथा बैग से 21 बोतल मैकडावल प्रत्येक 180 एमएल व 10 बोतल मैकडावल प्रत्येक 375 एमएल बरामद हुआ,

2. मो० शहजाद पुत्र मो० चाँद निवासी आनन्द बाजार दानापुर थाना दानापुर जनपद पटना बिहार उम्र 24 वर्ष की तलाशी से 80 रुपये नगद व 01 एण्ड्राइड फोन व पिठु बैग से 18 बोतल मैकडावल प्रत्येक 180एमएल व 08 बोतल मैकडावल प्रत्येक 375एमएल बरामद हुआ।

3. गौरव कुमार पुत्र संजय प्रसाद निवासी मून का चौराहा पटना थाना खाजेंकला जिला पटना बिहार उम्र करीब 27 वर्ष की तलाशी से एक फोन, 115 रुपये नगद तथा पिठु बैग से 14 केन बीयर किंगफिशर प्रत्येक 500एमएल बरामद हुआ।

4. बैजू कुमार पुत्र जगेशर राम निवासी बक्शी मैदान पटना सिटी थाना चौक जनपद पटना बिहार उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसकी तलाशी में 130 रुपये नगद व बैग से 06 बोतल 8पीएम प्रत्येक 750एमएल व 10 बोतल मैकडावल प्रत्येक 375एमएल बरामद हुआ,

5. राहुल कुमार पुत्र प्रेम कुमार महतो निवासी सुल्तानपुर दानापुर थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 24 वर्ष की जिसकी तलाशी से 01 एण्ड्राइड फोन, 110 रु0 नगद व पिड्डु बैग से 25 पीस आफ्टरडार्क ब्लू प्रत्येक 180एमएल व 06 बोतल मैक्डावल प्रत्येक 375एमएल बरामद हुआ।

6. मोहनलाल पुत्र बिजेन्द्र सैनी निवासी ग्राम राठौर थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 26 वर्ष की तलाशी में 190 रुपये नगद व एक एण्ड्राइड फोन व झोले से 12 बोतल रायल ग्रीन प्रत्येक 375एमएल व 06 बोतल मैक्डावल प्रत्येक 375 एमएल के रूप में हुयी।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अपने पास बैग व झोले में शराब लेकर ट्रेन से बिहार जा रहे थे कि ट्रेन मे चैकिंग होने लगी जिससे डरकर ट्रेन की गति धीमी होने पर आउटर पर ही उतरकर भागना चाहे कि पकड़ लिये गये। तथा यह भी बताया कि यह शराब हम उ0प्र0 में शराब की दुकानों से खरीद कर अधिक लाभ कमाने के लिये ट्रेनो से ले जाकर बिहार मे ऊचे दामो पर बेचकर मुनाफा कमाते है। गिरफ्तार अभियुक्तों को समय 23.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सोनू कुमार पुत्र स्व० नरेन्द कन्नौजिया निवासी अलखसिन्हा मार्ग बंगला नं0-6 दानापुर कैण्ट थाना दानापुर जनपद पटना बिहार
2. मो० शहजाद पुत्र मो० चाँद निवासी आनन्द बाजार दानापुर थाना दानापुर जनपद पटना बिहार उम्र 24 वर्ष
3. गौरव कुमार पुत्र संजय प्रसाद निवासी मून का चौराहा पटना थाना खाजेंकला जिला पटना बिहार उम्र करीब 27 वर्ष
4. बैजू कुमार पुत्र जगेशर राम निवासी बक्शी मैदान पटना सिटी थाना चौक जनपद पटना बिहार उम्र करीब 23 वर्ष
5. राहुल कुमार पुत्र प्रेम कुमार महतो निवासी सुल्तानपुर दानापुर थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 24 वर्ष
6. मोहनलाल पुत्र बिजेन्द्र सैनी निवासी ग्राम राठौर थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मुं.अ.सं. 199/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर चन्दौली।

बरामदगी

- 40 बोतल मैक्डावल प्रत्येक 375 एमएल
- 39 बोतल मैक्डावल प्रत्येक 180एमएल
- 25 पीस आफ्टरडार्क ब्लू प्रत्येक 180एमएल,
- 17 बोतल रायल ग्रीन प्रत्येक 375 एमएल,
- 06 बोतल 8 पीएम. प्रत्येक 750 एमएल,
- 14 केन किंगफिशर बीयर प्रत्येक 500 एमएल
(कुल मात्रा 42.340 लीटर बीयर/अंग्रेजी शराब)
- 05 एण्ड्राइड मोबाइल

पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद मिश्रा
- उ0नि0 अनिल कुमार यागव,
- उ0नि0 अमित कुमार सिंह,
- उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव
- रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक निशांत कुमार
- कां. धर्मेन्द्र कुमार
- कां. कमलेश कुमार पटेलहे0का0 रोशन यादव,

का० राहुल खरवार

का० दीपक यादव

उ०नि० रामसिंह

का० शिवांसु सिंह

चालक का० चन्दन कुमार

चन्दौली पुलिस टीम में तंत्र मंत्र के सहारे लोगो की झाड़ फुक कर उनको अपने विश्वास मे लेकर भिन्न भिन्न लोगो से करीब 26 लाख रुपये की ठगी करने वाला अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर (ips) अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 185/2024 धारा 319(2)/318(2)/316(2)) बीएनएस में सूत्रो से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति जो तंत्रमंत्र के माध्यम से ग्राम नसीरपुर तथा आस पास के गाँव के लोगो को झाँसा मे लेकर काफी लोगो से अवैध तरिके से धन का अर्जन करता था जो कि मझवार चन्दौली स्टेशन के पूर्वी किनारे पर आकर बैठा है तथा किसी ट्रेन को पकड़ कर भागने के फिराक मे है।

इस सूचना पर चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मझवार रेलवे स्टेशन के पूर्वी किनारे साहु जी के पोखरा के पास से इस्लामुद्दीन पुत्र स्व0 मोहम्मद जान निवासी ग्राम मंथरी (जटहरा) थाना रामपुर खाफ जिला रोटहट नेपाल उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व में पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स. 185/2024 धारा 319(2)/318(2)/316(2) /336(3)/337 /338/339/340(2) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली थाना व जिला चन्दौली

पूछताछ अभियुक्त-

पूछताछ में बताया कि साहब मैं नेपाल का रहने वाला हूँ विहार के पते पर रहता हूँ तथा मस्जिद मे मौलवी का काम भी करता हूँ करीब 02 वर्ष पहले नसीरपुर गाँव चन्दौली के मस्जिद मे रहने के दौरान वहा के व्यक्तियो से काफी परिचय हो गया था आर्थिक तंगी के कारण मै तंत्र मंत्र के सहारे लोगो की झाड़ फुक करके तथा उनको अपने विश्वास मे लेकर कई लोगो से 20 हजार – 25 हजार रुपये भी लिया था इस तरह से मैं करीब 26 लाख रुपये ले चुका था गाँव के लोग अपने पैसो की मांग करने लगे तो मै नसीरपुर गाँव से विहार भाग गया था विहार मे भी मै फर्जी आधार कार्ड बनवा कर वहाँ का निवासी बन करके रहने लगा। तंत्र मंत्र व फर्जी तरिके से पैसा प्राप्त करके मैं आज बकरीद के दिन अपने घर जा रहा था कि आप लोगो ने मुझको पकड़ लिया।

विवरण बरामदगी –

01 अदद नेपाली परिचय पत्र, 02 अदद कुटरचित आधार कार्ड, 40 पैकेट जंतर का खोखा व 02 शीशी इत्र, 01 पैकेट काला धागा, 05 अदद तंत्र मंत्र की किताब उर्दु भाषा मे, 05 अदद बाल पेन, 01 अदद छोटी कैची व 410000 (चार लाख दस हजार रुपये) नगद व 01 अदद मोबाइल फोन एन्ड्रायड बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
2. उ.नि देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना व जिला चन्दौली
3. उ.नि. कन्हैया लाल मौर्या थाना व जिला चन्दौली।
4. हे.का. रामदयाल थाना व जिला चन्दौली।
5. हे.का. विजय कुमार गौड थाना व जिला चन्दौली.